FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0293 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/12/2024 16:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	193
5	भा दं सं 1860	420
6	भा दं सं 1860	409
7	भा दं सं 1860	477-A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/03/2016 **Date To (दिनांक तक):** 31/01/2018

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/12/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/12/2024 16:44:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 45 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** TARANAGAR CHURU

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S
(थाना का नाम):
District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name(नाम): SABBIR KHAN

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 12/02/1974 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No(यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue
(जारी करने की तिथि):
Place of Issue
(जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE DHANKOLI, MAULASAR, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE DHANKOLI, MAULASAR, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):
Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BABULAL JAT		पिता:MANIRAM JAT	1. WARD NO 01,AATHUNA MAOHLLA,TARANAGAR,CHURU,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,89,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 7,89,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि प्राथमिक जांच संख्या 02/2023 की जांच से पाया गया हैं कि श्री प्रदीप कुमार मीणा वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नगर पालिका तारानगर में पदस्थापित रहा था। नगर पालिका तारानगर में पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 2015-16 में श्री श्याम बिहारी ईओ के अवकाश काल के दौरान श्री प्रदीप कुमार मीणा के पास नगर पालिका तारानगर के अधिशाषी अधिकारी का अति0 चार्ज रहा था। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक श्री लखुसिंह शेखावत कनिष्ठ लिपिक के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का कार्य नगर पालिका तारानगर में किया जाता था। श्री निरंजन योगी बी.सी. पॉईन्ट के नाम से वार्ड नं0 07 तारानगर में ई-मित्र चलाता है तथा जनवरी 2015 से बडौदा बैंक तारानगर के द्वारा श्री योगी को जनधन योजना के लिए बी.सी. नियुक्त किया गया था। जनधन योजना के अन्तर्गत जीरो बैलैस के खाते खोले जाते है। खाता खोलने पर खाता धारक से कोई रूपये नही लिये जाते है परन्तु बैंक के द्वारा एक तय कमीशन बी.सी. (बैंक मित्र) को दिया जाता हैं। खाता खेलने के लिए खाता धारक के स्वयं के फिंगर लगाकर खाता खोला जाता हैं। जांच से पाया गया है कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता एवं तलाक शुदा पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा योग्य पुरूष व महिला को पेंशन का लाभ दिया जाता हैं। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता एवं तलाक शुदा पेंशन नियम 2013 के नियम 3 में पात्रता निर्धारित की गई है जिसके अनुसार 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष जो राजस्थान के मूल निवासी हो, वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र होगें। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पेंशनर की आयु के सत्यापन हेतु विद्यालय प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड अथवा उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा दिये गये आयु प्रमाण-पत्र के आधार पर पात्रता का चयन किया जाता हैं। शहरी क्षैत्र में पेंशन हेतु आवेदक नगर पालिका के मुख्य अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियों सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक को पूर्व में किसी प्रकार की पेंशन नही मिल रही है या प्राप्त नही कर रहा हैं। आयु की पात्रता हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की जायेगी। जांच उपरान्त आवेदन पत्रों का सत्यापन कार्य पूर्ण करने के पश्चात मूल प्रारूप (एसएसपी-1) को अपनी सिफारिशो के साथ स्वीकृती कर्ता प्राधिकृत अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) के पास स्वीकृती हेतु ऑन लाईन भेजने का प्रावधान हैं। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर जांच कर पेंशन आदेश जारी करने का प्रावधान हैं। वर्ष 2015 व 2016 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सम्बंध में ऑफ-लाईन फार्म नगर पालिका में प्राप्त होते थे, जिनको नगर पालिका से ऑन-लाईन किया जाता था। नगर पालिका में कम्प्यूटर टाईपिंग व इन्टरनेट सम्बंधी कार्य करने के लिए वर्ष 2012-2013 से वर्ष 2017 तक श्री बाबुलाल/मनीराम जाट निवासी वार्ड नं0 01 तारानगर को टैण्डर के माध्यम से पालिका में रखा गया था। वर्ष 2015-2016 में सामाजिक सुरक्षा पेशंन के ऑफ लाईन फार्म सम्बंधित लिपिक श्री लखुसिंह के पास आने के बाद श्री लखुसिंह द्वारा फार्म की जांच की जाकर अधिशाषी अधिकारी की अभिशंषा के उपरान्त फार्म को ऑन लाईन करने के लिए श्री बाबुलाल कम्प्यूटर ऑपरेटर को दिये जाते थे। श्री बाबुलाल के द्वारा फार्मो को ऑन लाईन कर मूल फार्म व उनकी सूची उपखण्ड अधिकारी तारानगर को भिजवाई जाती थी। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पेंशन स्वीकृत करने के बाद पेंशनरों की सूची मय पीपीओ नगर पालिका में भिजवाये जाते थे। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पीपीओ जारी करने के बाद ऑन-लाईन स्वीकृती उप कोषाधिकारी तारानगर को प्रेषित की जाती थी। जिस पर उप कोषाधिकारी के द्वारा पेंशन धारक को उसके खाते के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाता था। पेंशनर के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों की जांच लिपिक श्री लखुसिंह के द्वारा की जाती थी। बाद जांच अधिशाषी अधिकारी की स्वीकृती के उपरान्त ही पेंशन स्वीकृती हेतु उपखण्ड अधिकारी को

ऑफ लाईन व ऑन लाईन प्रेषित की जाती थी। वर्ष 2015-2016 में श्रीमती हरितिमा उपखण्ड अधिकारी तारानगर के पद पर पदस्थापित थी। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका तारानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी तारानगर के निर्देशानुसार ऑन लाईन कार्य का जानकार होने व उपखण्ड कार्यालय में कार्याधिकता को देखते हुऐ कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य करने हेतु श्री बाबुलाल कम्प्यूटर ऑपरेटर को समय-समय पर उपखण्ड कार्यालय तारानगर भिजवाया जाता था। इस प्रकार श्री बाबुलाल कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा नगर पालिका में कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य करने के साथ-साथ उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में भी कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य करता था। श्री बाबुलाल जाट नगर पालिका तारानगर में अस्थाई ठेके पर कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य करता था तथा उसका निवास भी तारानगर शहर में होने के कारण अपने मौहल्ले के लोगो को सरकारी योजनाओं में फायदा दिलवाने के लिए उनके दस्तावेज ले लेता था और उनके फार्म पर अंगूठा/हस्ताक्षर करवाकर सरकारी योजनाओ का फायदा लोगों को दिलवा देता था। इस कारण परिवार व मौहल्ले के लोग श्री बाबुलाल पर विश्वास करते थे तथा उसके कहे अनुसार अपने दस्तावेज वगैरा श्री बाबुलाल को दे देते थे और उसके कहे अनुसार अंगूठा/हस्ताक्षर भी कर देते थे। वर्ष 2015-2016 में शहर के विभिन्न वार्डो में जनधन खाता खोलने के लिए कैम्प लगाये जाते थे। श्री बाबुलाल, बैंक बीसी श्री निरंजन योगी को लेकर अपने मोहल्ले में गया और अपने परिवार व मौहल्ले के 47 व्यक्तियों के बडौदा बैंक में खाते खुलवाये। खाता धारकों ने स्वयं ने अपने फिंगर लगाकर खाते खुलवाये थे तथा उन्ही से आवेदन पर हस्ताक्षर करवाये। श्री बाबुलाल ही खाता धारकों को बुलाकर खाता खुलवा रहा था तथा बाद में खाता धारको के एटीएम व पिन नम्बर बैक से बी.सी. श्री निरंजन योगी को प्राप्त होने पर श्री निरंजन योगी ने बाबुलाल के साथ जाकर एटीएम व पिन वितरण रजिस्टर में खाता धारको के हस्ताक्षर करवाकर एटीएम व पिन खाता धारको को वितरण किये थे। कुछ लोगों के मौके पर नहीं मिलने पर श्री बाबुलाल के कहे अनुसार शेष खाता धारकों के एटीएम व पिन नम्बर श्री बाबुलाल को देकर श्री बाबुलाल से हस्ताक्षर बैंक बीसी श्री निरंजन योगी के द्वारा करवाये गये। इस प्रकार श्री बाबुलाल कम्प्यूटर ऑपरेटर ने अपने परिवार व मौहल्ले के 47 व्यक्तियों के बैंक खाता बडौदा बैंक ऑफ तारानगर में खुलवाकर उसके एटीएम स्वयं ने प्राप्त कर अपने पास रख लिये। खाता धारकों से जांच की गई तो खाता धारकों ने बताया है बैंक आफ बडौदा शाखा तारानगर के खाता खोलने के फार्म पर हमारे हस्ताक्षर है तथा इस पर लगी फोटो हमारी ही है। इन खातो में जो रूपये जमा हुऐ है वो किसने जमा किये है तथा किस नाम के जमा हुऐ है तथा जो रूपये निकाले गये है वो किसने निकाले है हमें पता नही हैं। इस खाते की बैंक की पास बुक व एटीएम हमारे पास नही हैं। श्री बाबुलाल थोरी नगर पालिका में काम करता था। जनधन खाते खुलवाने के लिए पांच-छः साल पहले हमारे मौहल्ले में कैम्प लगा था जिसमें बाबुलाल ने काफी कागजों पर हमारे हस्ताक्षर करवाये थे तो हो सकता है उस समय बाबुलाल ने यह हस्ताक्षर करवाये होगें। श्री बाबुलाल ने हमारे को कभी नही बताया था कि हमारा बड़ौदा बैंक में भी खाता खुलवाया हैं। जांच से पाया गया कि उक्त श्री बाबुलाल जाट कम्प्यूटर ऑपरेटर नगर पालिका तारानगर ने इओ नगर पालिका तारानगर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल से दिनांक 01.03.2016 को 43 व दिनांक 01.06.2016 को 04 काल्पनिक नाम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन ऑन-लाईन किये जिसमें बैंक खाता डिटेल अपने परिवार व मौहल्ले के लोगों के बैंक खाता जिसके एटीएम श्री बाबुलाल के पास थे उन खातो का विवरण भरकर नगर पालिका तारानगर के ईओ व पेंशन लिपिक को बताऐ बिना ही ऑन-लाईन पेंशन स्वीकृती हेतु आवेदन उपखण्ड अधिकारी तारानगर की आईडी पर फारवर्ड कर दिये तथा श्री बाबुलाल के द्वारा उपखण्ड अधिकारी तारानगर में भी पेंशन स्वीकृत करने का कार्य किया जाता था इसलिए उपखण्ड अधिकारी की आईडी से उक्त 47 संदिग्ध व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत कर दी जिस पर इन काल्पनिक 47 व्यक्तियों के नाम से पेंशन राशि हर माह बाबुलाल के द्वारा जो बैंक खाता नम्बर लिखे गये थे उनमें जमा होनी शुरू हो गई। श्री बाबुलाल के द्वारा एटीएम के माध्यम से उक्त राशि की निकासी की जाती रही। जांच से पाया गया है कि श्री बाबुलाल के साथ-साथ श्री हेमराज के द्वारा भी नगर पालिका तारानगर में कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य किया जाता था। उक्त श्री हेमराज ने बड़ौदा बैंक में खाता खुलवाने के लिए बैंक बीसी से सम्पर्क किया तो पता चला कि आपका खाता संख्या 17078100006832 पहले से ही खुला हुआ हैं। श्री हेमराज ने बैंक से जानकारी की तो पता चला कि खाते मे पेंशन की राशि जमा भी हुई है तथा राशि निकाली भी हुई थी। इसी प्रकार परिवार के अन्य व्यक्तियों में भी पेंशन की राशि जमा हो रही थी। श्री हेमराज का एक खाता बड़ौदा बैंक में पहले से खुला हुआ होने के कारण बड़ौदा बैंक में दूसरा खाता नही खुला तथा उसके नाम से गलत पेंशन जमा हो रही थी इसलिए दिनांक 16.02.2018 को श्री हेमराज कम्प्यूटर ऑपरेटर नगर पालिका तारानगर ने उपकोष कार्यालय तारानगर में उपस्थित होकर बताया कि मेरे व मेरे परिवार के नाम से 04 खातो में कई महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन आ रही हैं। जिस पर उप कोषाधिकारी तारानगर के द्वारा अपने स्तर पर जांच की जाकर रिपोर्ट श्रीमान जिला कलक्टर चूरू को प्रेषित करने पर श्रीमान जिला कलक्टर चूरू के आदेशानुसार तत्का0 उपखण्ड अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह ने जांच की। उपखण्ड अधिकारी तारानगर द्वारा उक्त जांच की जाकर अपने पत्रांक 1993-94 दिनांक 06.06.2018 से जांच रिपोर्ट श्रीमान जिला कलक्टर चूरू को प्रेषित की गई। जिससे पाया गया कि उक्त अवधि के दौरान संदिग्ध 47 व्यक्तियों के जो पीपीओ जारी किये हुऐ है उनके आवेदन मुताबिक रिकॉर्ड नगर पालिका में प्राप्त नही हुऐ हैं और ना ही किसी प्रकार की जांच ईओ द्वारा की गई हैं। श्री बाबुलाल संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर नगर पालिका तारानगर द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका तारानगर व उपखण्ड अधिकारी तारानगर की आईडी चुपके से लेकर ऑन-लाईन ही संदिग्ध व्यक्तियों के नाम

स्वीकृती जारी कर अपने निजी व्यक्तियों/परिवार के सदस्यों के नाम से बैंक खाता खोलकर ऑन-लाईन स्वीकृती सूची व पीपीओ उप कोष कार्यालय में प्रेषित कर दी थी, जो कि उसको करने का अधिकार नही था। इसके अलावा बैंक खाता धारकों के एटीएम सीधे वीसी से प्राप्त कर भुगतान स्वयं प्राप्त करता रहा हैं। जिसके लिए श्री बाबुलाल कम्प्यूटर ऑपरेटर को दोषी माना था। तत्समय सामाजिक सुरक्षा पेशंन का कार्य श्री लखुसिंह के द्वारा किया जाता था जिसने भी बताया कि उक्त 47 व्यक्तियों के कोई आवेदन नगर पालिका में प्राप्त नही हुऐ तथा ना ही नगर पालिका स्तर पर इन आवेदनों की किसी प्रकार की कोई जांच की थी। उक्त जांच के दौरान सामने आया था कि उक्त 47 आवेदकों की जो गलत पेंशन स्वीकृत हुई है वह श्री बाबुलाल कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा ईओ की आईडी से सिर्फ ऑन-लाईन ही उपखण्ड अधिकारी को स्वीकृती हेतु प्रेषित किये है तथा श्री बाबुलाल ने ही उपखण्ड अधिकारी की आईडी से ऑन-लाईन पेंशन स्वीकृत कर उप कोष कार्यालय भिजवाये गये हैं। उक्त विवादित 47 पेंशनरों के कोई आवेदन नगर पालिका तारानगर में प्राप्त नही हुऐ तथा ना ही पेंशन स्वीकृती हेतु उपखण्ड अधिकारी को सूची प्रेषित की थी। श्री बाबुलाल कम्प्यूटर ऑपरेटर ने जांच के दौरान स्वीकार भी किया था कि उक्त 47 पेशनरों के ऑन-लाईन आवेदन ईओ की आईडी से मेरे द्वारा किये जाकर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी की आईडी से मेरे द्वारा ऑन-लाईन स्वीकृती की गई थी और उप कोषाधिकारी को पेंशन स्वीकृती बाबत पीपीओ भेजे गये थे। उक्त 47 पेंशन धारको की पेंशन ईओ की आईडी से फार्म ऑन-लाईन करने व एसडीएम की आईडी से स्वीकृत करने के बारे में मैनें नगर पालिका के पेंशन लिपिक श्री लखुसिंह व कार्यवाहक ईओ श्री प्रदीप कुमार तथा एसडीएम श्रीमती हरितिमा को नही बताया था तथा ना ही किसी प्रकार की कोई स्वीकृती ली थी। उक्त 47 पेंशनरो के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही श्री बाबुलाल कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा की गई है। इसके बारे में श्री लखुसिंह तत्का0 पेंशन लिपिक, श्री प्रदीप कुमार मीणा तत्का0 क0अ0 कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका तारानगर व उपखण्ड अधिकारी तारानगर को ऑन-लाईन स्वीकृती होने के कारण जानकारी नही हुई। उक्त शिकायत होने पर श्री बाबुलाल जाट कम्प्यूटर ऑपरेटर को नगर पालिका से ठेके/अनुबन्ध से हटा दिया गया था। उक्त सभी पेंशनरों की तत्समय बाद जांच पेंशन बंद कर दी गई थी तथा श्री बाबुलाल के द्वारा खातों से निकाली गई पेंशन राशि इन खातों में वापस जमा करवा दी गई जिस पर इन खातों को भी फ्रीज करवा दिया गया था जो आज भी फ्रीज हैं। श्री बाबुलाल जाट तत्का0 कम्प्यूटर आपरेटर नगर पालिका तारानगर के द्वारा पेंशन के आवेदन काल्पनिक नाम से किये गये है इस नाम के कोई व्यक्ति तारानगर में नही हैं। चुंकि ठेके/अनुबन्ध पर नगर पालिका तारानगर में पेंशन ऑन लाईन का कार्य तत्समय श्री बाबुलाल जाट कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा किया जाता था इसलिए तत्का0 अधिशाषी अधिकारी श्री प्रदीप कुमार मीणा व पेंशन लिपिक श्री लखुसिंह शेखावत से मॉनिटरिंग नही हो पायी हैं। उक्त श्री बाबुलाल जाट नगर पालिका तारानगर में कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य करने के लिए अधिकृत था परन्तु उपखण्ड कार्यालय तारानगर में पेंशन का ऑन-लाईन कार्य करने वाला नही होने के कारण उक्त श्री बाबुलाल जाट अनुबंध कम्प्यूटर ऑपरेटर नगर पालिका तारानगर द्वारा ऑन-लाईन पेंशन का कार्य किया जाता था। उक्त संदिग्ध 47 सामाजिक सुरक्षा पेंषन प्रकरण के आवेदन पत्र अधिशाषी अधिकारी द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन न तो स्वीकृती हेतु उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किये गये और ना ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा इन प्रकरणों में कोई अनुमति जारी की गई। श्री बाबुलाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (अनुबन्ध) द्वारा अधिशाषी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी की आई.डी. उसके पास होने के कारण इन आवेदन पत्रों को ऑन-लाईन किया गया तथा बिना अनुमति या स्वीकृती प्राप्त किये ही स्वयं के स्तर से पीपीओ तैयार कर ऑन-लाईन कोष कार्यालय को भिजवा दिये गये। श्री निरंजन योगी बैंक बीसी ने भी खाता धारकों के स्वयं के अंगुष्ठ लगाकर व फार्म पर उनके हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार खाते खोले है तथा एटीएम वितरण बाबत अधिकतर के हस्ताक्षर करवाकर ही एटीएम श्री बाबुलाल जाट को दिये तथा शेष रहे व्यक्तियों के घर पर नही मिलने के कारण एटीएम श्री बाबुलाल को देकर श्री बाबुलाल के हस्ताक्षर करवाये है। इस प्रकार समस्त जांच से पाया गया है कि श्री बाबुलाल जाट पुत्र श्री मनीराम जाट जाति जाट निवासी वार्ड नं0 01 आथुणा मौहल्ला तारानगर जिला चूरू तत्का0 कम्प्यूटर ऑपरेटर अनुबन्ध नगर पालिका तारानगर जिला चूरू ने अनुबन्ध पर नगर पालिका तारानगर में राजकीय पद पर रहते हुऐ अपने पद का दुरूपयोग कर अपने निजी/परिवार के 47 संदिग्ध व्यक्तियों के नाम से बैंक खाता खोलकर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका तारानगर व उपखण्ड अधिकारी तारानगर की आईडी का उपयोग करते हुऐ 47 काल्पनिक नाम के व्यक्तियों के नाम से पेंशन स्वीकृत कर पीपीओ उप कोष कार्यालय तारानगर में प्रेषित कर दिये गये तथा बैंक वी.सी. से एटीएम सीधे ही प्राप्त कर उक्त 47 संदिग्ध पेंषनरों के माह मार्च 2016 से जनवरी 2018 के मध्य 7,89,000 रूपये का भुगतान स्वंय ने प्राप्त कर राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पंहुचा कर अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 193, 420, 409, 477ए भा.द.स. का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। दौराने अनुसंधान तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, तत्कालीन पेंशन लिपिक, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, तत्कालीन बैंक मित्र व अन्य की संदिग्ध भूमिका के बारे में अनुसंधान किया जायेगा। अतः श्री बाबुलाल जाट पुत्र श्री मनीराम जाट जाति जाट उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड न0 01 आथुणा मौहल्ला तारानगर जिला चूरू तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर (अनुबंध) नगरपालिका तारानगर जिला चूरू के विरूद्ध उक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्र0नि0 ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू..........कार्यवाही

पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 193, 420, 409, 477ए भा.द.स. में आरोपी श्री बाबुलाल जाट पुत्र श्री मनीराम जाट जाति जाट उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड न0 01 आथुणा मौहल्ला तारानगर जिला चूरू तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर (अनुबंध) नगरपालिका तारानगर जिला चूरू के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 167 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1618-22 दिनांक 17-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, तारानगर, जिला चूरू। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू। 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जांच संख्या 02/2023) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHENDRA KUMAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1?/?2/2024 1?:?3

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)